TO BE PUBLISHED IN PART II SECTION 3 SUBSECTION (ii) OF THE ORDINARY GAZETTE OF INDIA

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
DEPARTMENT OF REVENUE
CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

...

New Delhi, the 29 October, 1996.

NOTIFICATION

S.O. In exercise of the powers conferred under clause(a) of sub-section (2) of Section 119 of the Income-tax Act, 1961, the Central Board of Direct Taxes hereby specifies the due date for the purposes of Explanation 1 under sub-section (1) of Section 139 as 30th November, 1996, in respect of the following class of assessees for the assessment year 1996-97.

CLASS OF ASSESSEES

(i) All cases as defined in sub-clause (i) of clause (b) of Explanation to sub-section (1) of Section 139 of the Income-tax Act, 1961.

(ii) The working partners as defined in Explanation 4 of clause (b) of Section 40 of the Income-tax Act, 1961, in firms which are required to get their accounts audited in respect of the previous year ended 31st day of March, 1996 relevant to the assessment year 1996-97 in accordance with the provisions of Section 44AB of the Income-tax Act, 1961, and in whose case extension was earlier granted upto 31st October, 1996, vide Notification No. 10173 dated the 8th August, 1996 (F.No. 220/2/96-ITA.II).

2. The Central Board of Direct Taxes further notifies that the "Specified date" mentioned in sub-clause (b) of clause (ii) of the Explanation under Section 44AB of the Income-tax Act shall stand extended to 30th day of November, 1996 in relation to Assessment Year 1996-97.

(MALATHI R. SRIDHARAN)
UNDER SECRETARY TO THE GOVT. OF INDIA

Notification No. 10218 /(F.No. 220/6/96-ITA.II).

To

The Manager,
Government of India Press,
Mayapuri,
New Delhi

<u>भारत के राजपत्र के भाग II खण्ड 3(ii) में प्रकाशनार्थ।</u>

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 5 नवम्बर, 1975

अधिसूचना

(आयकर)

का०आ०सं० आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (iv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा "[illegible]" को कर-निर्धारण वर्ष 1973-74 से 1975-76 तक के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त धारा के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है, अर्थात्:-

(i) कर-निर्धारिती अपनी आय का उपयोग अथवा उसको संचित करने के लिए पूर्णतया तथा अनन्यतः उन उद्देश्यों के लिए करेगा, जिनके लिए इसकी स्थापना की गई है;

(ii) कर-निर्धारिती ऊपर उल्लिखित कर निर्धारण वर्षों से संबद्ध पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के दौरान धारा 11 की उपधारा (5) में निर्दिष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक ढंग अथवा तरीकों से भिन्न तरीकों से अपनी निधियों - (आभूषण, फर्नीचर आदि के रूप में प्राप्त तथा रख-रखाव में स्वैच्छिक अंशदान से भिन्न) का निवेश नहीं करेगा अथवा उसे जमा नहीं करेगा;

(iii) यह अधिसूचना किसी ऐसी आय के संबंध में लागू नहीं होगी, जो कि कारोबार से प्राप्त लाभ तथा अभिलाभ के रूप में हो जब तक कि ऐसा कारोबार उक्त कर-निर्धारिती के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारोबार के संबंध में अलग से लेखा पुस्तिकाएं नहीं रखी जाती हों।

ह०/- [signature]

(एन०के० चौधरी)
अवर सचिव, भारत सरकार

अधिसूचना सं० 11219
(फा०सं० 197/135/75-आ०क०नि०)

सेवा में,

प्रबन्धक,
भारत सरकार प्रेस, रिंग रोड,
मायापुरी [illegible] के पास,
नई दिल्ली।